



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9]

नई दिल्ली, फरवरी 24—मार्च 2, 2019, शनिवार/फाल्गुन 5—फाल्गुन 11, 1940

No. 9]

NEW DELHI, FEBRUARY 24—MARCH 2, 2019, SATURDAY/ PHALGUNA 5— PHALGUNA 11, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(सतर्कता अनुभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

का.आ. 286.—इस विभाग की दिनांक 05.02.2018 की अधिसूचना संख्या 22/4/2003-सतर्कता (खंड-III) के अनुक्रम में और विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत 67,000/- रुपए + 3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि - 79,000/- रुपए के एचएजी वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अभिरक्षक के पद पर श्री जयंती प्रसाद (आईए एंड एएस: 1986) के कार्यकाल को दिनांक 15.01.2019 से एक और वर्ष की अवधि के लिए या अभिरक्षक के कार्यालय के बंद होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 22/4/2003-सतर्कता (खंड-III)]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 288.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 मार्च, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

गुजरात राज्य के वडोदरा जिले की संपूर्ण सीमाओं में, जहाँ करा.बी. अधिनियम के उपबंध पहले ही लागू हैं, के अतिरिक्त भी प्रवृत्त होंगे।

[सं. एस-38013/01/2019-एस.एस.1]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. 288.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st March, 2019 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Section 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas of State of Gujarat namely:-

“The areas comprising within the limits of Vadodara District, in Gujarat State excluding the areas where the provisions of ESI Act have already been brought into force.”

[No. S-38013/01/2019-S.S.1]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 289.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 अप्रैल, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा 76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध महाराष्ट्र राज्य में संबंधित तहसील तथा जिलों के साथ-साथ में कॉलम-2 में क्र.सं. 1 से 8 पर उल्लिखित आठ जिलों के जिला मुख्यालय के नगरपालिका सीमाओं के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्रों तथा (कॉलम-2 में क्र. सं. 9) सिंधुदुर्ग जिले के ओरोस जिला परिषद की सीमाओं में शामिल सभी क्षेत्रों और कॉलम-3 में उल्लिखित एमआइडीसी क्षेत्रों के सभी राजस्व ग्राम में प्रवृत्त होंगे, नामतः

क्र.सं.	जिलों के नाम	एमआइडीसी क्षेत्र का नाम	तहसील का नाम
1	2	3	4
1.	यवतमाल	यवतमाल	यवतमाल
		अतिरिक्त यवतमाल	
2.	भंडारा	भंडारा (गडेगांव)	भंडारा, लखानी
3.	जालना	जालना	
		अतिरिक्त जालना I	
		अतिरिक्त जालना II	